न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या – 22 / 2017

निर्णय दिनांक– 29.01.2019

उनवान

1.बजरंगलाल पुत्र कान्हा उर्फ किशनलाल जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक

2.बजरंगी पुत्री कान्हा उर्फ किशनलाल जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक

–वादीगण

बनाम

1. गोपीलाल पुत्र लाला जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
2. रामसिंह पुत्र गोपीलाल जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
3. बोलताराम पुत्र गोपीलाल जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
4. हंसराज पुत्र गोपीलाल जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
5. पप्पूलाल पुत्र नैनका जाति नाथ निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
6. नैनका पुत्र श्योनाथ जाति नाथ निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक (डिलीट)
7. रमेश पुत्र नैनका जाति नाथ निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
8. अंकित उर्फ मोनू पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा
9. अभिषेक पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
10. कविता बाई पुत्री गंगाराम जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
    10/1 मुस्कान आयु 13 वर्ष पुत्री धनराज मीना नि0 श्योपुरा तह0 उनियारा
    10/2 आजाद आयु 9 वर्ष पुत्र धनराज मीना नि0 श्योपुरा तह0 उनियारा
    10/3 लीला आयु 6 वर्ष पुत्री धनराज मीना नि0 श्योपुरा तह0 उनियारा
11. गंगा पत्नी गंगाराम जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
12. नन्दसिंह पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
13. बनवारी पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
14. मोनिका बाई पुत्री गंगाराम जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
15. रामकेश पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
16. सुनिता बाई पुत्री गंगाराम जाति मीना निवासी फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोक
17. सिंडीकेट बैंक शाखा घास तह0 टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक
18. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– 1.श्री दिनेश मोरवाल वकील वादीगण

2.श्री बी0एल0 जैन वकील प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:-

यह कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0न0 42 रकबा 0.44 है0 मे से 0.23 है0 भूमि (उक्त खसरा नम्बर 42 मे से पश्चिमी भाग जो प्रार्थीगण के चर पेटवा तथा ग्राम विजयपुरा तन बनेठा जाने वाले रास्ते पर स्थित है) वाके ग्राम फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। ख0न0 42 रकबा 0.44 है0 सेटलमेन्ट से पूर्व ख0न0 17/1/2, ख0न0 17/1/3, ख0न0 17/1/4 मे से बने है। उक्त आराजी के चरपेटवा ही प्रार्थीगण के पिता किशनलाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पुराने ख0न0 17/3 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा हाल ख0न0 43 रकबा 0.66 है0 स्थित होने से प्रार्थीग्ण के पिता किशनलाल पुत्र भूरालाल जाति मीना निवासी फतेहगंज ने ख0न0 17/1/2, ख0न0 17/1/3, ख0न0 17/1/4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फतेहगंज मे से 18 बिस्वा भूमि खातेदार प्रभूलाल पुत्र श्योनाथ जाति नाथ निवासी फतेहगंज से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.11.1980 को रूबरू गवाहान खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थीगण के पिता किशनलाल द्वारा उक्त भूमि खरीदने के पश्चात उसी समय उक्त भूमि पर कुआ खुदवाकर चारा फसल कृषि उपकरण रखने हेतु मकान का भी निर्माण कर लिया था। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण अपने स्व0 पिता किशनलाल के जीवनकाल से ही निर्विरोध रूप से करते चले आ रहे है। उक्त आराजी ख0न0 17/1/2, ख0न0 17/1/3, ख0न0 17/1/4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि मे से प्रार्थीगण की खरीद शुदा भूमि के सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने नये ख0न0 42 रकबा 0.44 है0 बनाते हुये गलत रूप से बिना विधिक अधिकार के कोकली बेवा कंवरीलाल जाति मीना निवासी फतेहगंज के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया। जिसका की सेटलमेन्ट कर्मचारियों को कोई वैधानिक अधिकार नही था। कोकली का स्र्वगवास हो जाने के कारण उक्त आराजी वर्तमान मे कोकली के वारिसान प्रतिपक्षी न0 8 ता 1 के नाम दर्ज है। जबकि मौके पर प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से प्रार्थीगण का कब्जा निर्विरोध निरंतर रूप से चला आ रहा है। प्रतिपक्षी न0 8 ता 16 मे से प्रतिपक्षी न0 9, 10, 15, 16 ने उक्त आराजी गलत रूप से नाम दर्ज हो जाने से अपने हिस्से को सिंडीकेट बैंक घास के गलत रूप से रहन दर्ज करवा दी है। उक्त आराजीयात से प्रतिपक्षी 1 ता 7 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयात मे नींवे खोदकर कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिपक्षीगण 8 ता 16 के नाम उक्त भूमि अंकित होने से रहन बैचान करने पर आमादा है। इस कारण उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द ता फैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी ख0न0 42 रकबा 0.44 है0 मे से 0.23 है0 भूमि (पश्चिमी भाग जो वादीगण की भूमि के चर पेटवा तथा ग्राम विजयपुरा तन से बनेठा जाने वाले रास्ते पर स्थित है) वाके ग्राम फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादीगण के कब्जे काश्त व हिस्से किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना काश्त मे बाधा डाले, ना भूमि पर किसी प्रकार की नींव खोदे ना निर्माण कार्य करे। प्रतिपक्षी न0 8 ता 16 को पाबन्द किया जावे कि वह राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हुये प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी न0 1 ता 5 व 7 से 9 व 11 से 16 की ओर से श्री बीए0एल0जैन वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा काश्त है, मौके पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी प्रतिपक्षीगण के नाम है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थीग्ण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि उक्त आराजी के चरपेटवा ही प्रार्थीगण के पिता किशनलाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पुराने ख0न0 17/3 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा हाल ख0न0 43 रकबा 0.66 है0 स्थित होने से प्रार्थीग्ण के पिता किशनलाल पुत्र भूरालाल जाति मीना निवासी फतेहगंज ने ख0न0 17/1/2, ख0न0 17/1/3, ख0न0 17/1/4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फतेहगंज मे से 18 बिस्वा भूमि खातेदार प्रभूलाल पुत्र श्योनाथ जाति नाथ निवासी फतेहगंज से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13. 11.1980 को रूबरू गवाहान खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थीग्ण के पिता किशनलाल द्वारा उक्त भूमि खरीदने के पश्चात उसी समय उक्त भूमि पर कुआ खुदवाकर चारा फसल कृषि उपकरण रखने हेतु मकान का भी निर्माण कर लिया था। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण अपने स्व0 पिता किशनलाल के जीवनकाल से ही निर्विरोध रूप से करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के नये ख0न0 42 रकबा 0.44 है0 बनाते हुये गलत रूप से बिना विधिक अधिकार के कोकली बेवा कंवरीलाल जाति मीना निवासी फतेहगंज के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया। जिसका की सेटलमेन्ट कर्मचारियों को कोई वैधानिक अधिकार नही था। कोकली का स्वर्गवास हो जाने के कारण उक्त आराजी वर्तमान मे कोकली के वारिसान प्रतिपक्षी न0 8 ता 1 के नाम दर्ज है। जबकि मौके पर प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से प्रार्थीगण का कब्जा निर्विरोध निरंतर रूप से चला आ रहा है। प्रतिपक्षी न0 8 ता 16 मे से प्रतिपक्षी न0 9, 10, 15, 16 ने उक्त आराजी गलत रूप से नाम दर्ज हो जाने से अपने हिस्से को सिंडीकेट बैंक घास के गलत रूप से रहन दर्ज करवा दी है। उक्त आराजीयात से प्रतिपक्षी 1 ता 7 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयात मे नींवे खोदकर कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिपक्षीगण 8 ता 16 के नाम उक्त भूमि अंकित होने से रहन बैचान करने पर आमादा है। प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द ता फैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी ख0न0 42 रकबा 0.44 है0 मे से 0.23 है0 भूमि (पश्चिमी भाग जो वादीगण की भूमि के चर पेटवा तथा ग्राम विजयपुरा तन से बनेठा जाने वाले रास्ते पर स्थित है) वाके ग्राम फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादीगण के कब्जे काश्त व हिस्से किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना काश्त मे बाधा डाले, ना भूमि पर किसी प्रकार की नींव खोदे ना निर्माण कार्य करे। प्रतिपक्षी न0 8 ता 16 को पाबन्द किया जावे कि वह राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हुये प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

प्रतिपक्षीगण के वकील ने अपनी तर्कपूर्ण बहस मे जवाब प्रा0पत्र का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 42 प्रतिपक्षीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है, जिस पर से उन्हे पाबन्द नही किया जा सकता। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्षों के वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । नकल नामान्तरकरण संख्या 93 वाके ग्राम फतेहगंज मे आराजी ख0न0 17/1/2, ख0न0 17/1/3, ख0न0 17/1/4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रभूलाल पुत्र शोनाथ कोम नाथ सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15.11.80 द्वारा तत्कालीन खातेदार प्रभूलाल पुत्र शोनाथ जाति नाथ निवासी फतेहगंज से साबिक आराजी ख0न0 17/1/2, ख0न0 17/1/3, ख0न0 17/1/4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि मे से 18 बिस्वा भूमि उत्तरी भाग जो किशनलाल पुत्र भूरालाल मीना निवासी फतेहगंज के खेत के चरपेटीयां है को किशनलाल पुत्र भूरालाल मीना निवासी फतेहगंज को बैचान किया है। नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी ख0न0 17 मी. रकबा – से हाल ख0न0 42 रकबा 0.44 व साबिक ख0न0 17 मी. रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा से हाल ख0न0 43 रकबा 0.66 कायम होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2060 मे वादग्रस्त भूमि ख0न0 42 रकबा 0.44 कोकली बेवा कवरीलाल कोम मीना सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2074 वाके ग्राम फतेहगंज मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 42 रकबा 0.44 प्रतिपक्षीगण 8 ता 16 के नम खातेदारी मे दर्ज है।

प्रथम दृष्टया साबिक आराजी ख0न0 साबिक आराजी ख0न0 17/1/2, ख0न0 17/1/3, ख0न0 17/1/4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि मे से 18 बिस्वा भूमि उत्तरी भाग जो किशनलाल पुत्र भूरालाल मीना निवासी फतेहगंज के खेत के चरपेटीयां है को किशनलाल पुत्र भूरालाल मीना निवासी फतेहगंज की खरीद शुदा आराजी है। प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 ने अपना कब्जा काश्त बताया है, परन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। प्रतिपक्षीगण के द्वारा इस स्तर पर यह नही बताया है कि साबिक ख0न0 17 मि. से बने हाल ख0न0 42 रकबा 0.44 है0 उसकी खातेदारी मे किस प्रकार से दर्ज हुआ है। यदि दौराने दावा आराजी ख0न0 42 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम फतेहगंज का प्रतिपक्षीगण द्वारा बैचान कर दिया जाता है तो वाद बाहुलता को बढावा मिलेगा। वास्तविक तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य व सबूत आने पर ही संभव है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे पाया जाता है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रतिपक्षीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण को ही अधिक होगी।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि आराजी ख0न0 42 रकबा 0.44 है मे से 0.23 है0 भूमि (उक्त ख0न0 42 मे से पश्चिमी भाग जो प्रार्थीग्ण की भूमि के चरपेटवा तथा ग्राम विजयपुरा तन से बनेठा जाने वाले रास्ते पर स्थित है) वाके ग्राम फतेहगंज तहसील उनियारा जिला टोंक मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी नही करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner